

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : स. 3-5(2)स्था/मंत्रा./अभि./2023/845-54

जयपुर, दिनांक 27.11.24
~~26.11.2024~~

आदेश


अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक 03-06(01)स्था/मंत्रा/अभि/15/राजकाज नं0 11493482 दिनांक 29.10.2024 द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कार्मिक श्री भवानी शंकर का पदस्थापन लोकहित में कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है :

संबंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब करवाकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय), निदेशालय, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी श्री भवानी शंकर द्वारा- उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
6. संस्थापन शाखा, मंत्रालयिक/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर